भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3

जिसका उत्तर दिनांक 20.07.2023 को दिया जाना है

नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किया जाना

3# श्रीमती कान्ता कर्दम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा देश को कोयले और ऊर्जा के अन्य पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां। निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता वर्ष 2031 तक 7480 मेगावाट से 22480 मेगावाट तक बढ़ाया जाना निर्धारित है। सरकार ने भविष्य में नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करने के लिए नए स्थलों का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन भी दे दिया है।

(ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली अन्य स्रोतों से उत्पादित बिजली से अलग नहीं है। इसे बिजली ग्रिड से जोड़ा जाता है, जहां से इसे डिस्कॉम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है।

(ग) जी हां। नाभिकीय ऊर्जा देश को स्वच्छ आधार भार ऊर्जा प्रदान कर सकती है, जो देश की ऊर्जा को शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में मदद कर सकती है, जिससे कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो सकती है।

* * * * *